

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1871

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

टीम योजना

1871. श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्री विजय बघेल:

श्री भरतसिंहंजी शंकरजी डाभी:

श्री प्रदीप पुरोहित:

श्री बलभद्र माझी:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

श्री शंकर लालवानी:

डॉ. लता वानखेड़े:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापार सक्षमता एवं विपणन (टीम) योजना के अंतर्गत ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत ई-कॉर्मर्स में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का किस प्रकार लाभ उठाया जाएगा;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों पर विशेष बल दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) पहल, एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की एक उप-स्कीम है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। एमएसएमई टीम पहल का 3 वर्षों अर्थात् वर्ष 2024 से 2027 तक के लिए कुल परिव्यय 277.35 करोड़ रुपये है।

(ख): टीम स्कीम ई-कॉर्मर्स में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निम्न प्रकार से लाभ उठाती है:

- एमएसएमई को सरकार समर्थित डिजिटल वाणिज्य नेटवर्क नामतः डिजिटल वाणिज्य हेतु ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) तक सीधे पहुंच प्रदान किया जा रहा है, जो पहले से तैयार ऑनलाइन स्टोरफ्रंट, एकीकृत डिजिटल भुगतान समाधान और लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करता है।
- ओएनडीसी की इंटरऑपरेबल प्रणालियों के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और कैटलॉगिंग को सक्षम बनाकर एमएसएमई के लिए अपने स्वयं के ई-कॉर्मर्स प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता को कम करता।
- टीम पोर्टल का उपयोग एमएसएमई को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने, उनके व्यावसायिक प्रोफाइल को संग्रहीत करने तथा सुचारू ऑनबोर्डिंग और निरंतर डिजिटल व्यावसाय सहायता के लिए विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) से कुशलतापूर्वक मिलान करने के लिए किया जाता है।
- ई-कॉर्मर्स और डिजिटल बाजार के अवसरों का सहजता से उपयोग करने और उनका लाभ उठाना सुनिश्चित करने हेतु एमएसएमई के लिए क्षमता-वर्धन कार्यशालाएं और सहायता की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ): जी हां, एमएसएमई टीम पहल से 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को लाभ मिलने की परिकल्पना की गई है, जिनमें से 50% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के पंजीकरण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति (दिनांक 28 जुलाई 2025 तक) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	0
4.	असम	15
5.	बिहार	13
6.	छत्तीसगढ़	2
7.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0
8.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	50
9.	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	71
12.	हरियाणा	24
13.	हिमाचल प्रदेश	3
14.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	2
15.	झारखण्ड	21
16.	कर्नाटक	54
17.	केरल	19
18.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	0
19.	लधन्दीप (संघ राज्य क्षेत्र)	0
20.	मध्य प्रदेश	28
21.	महाराष्ट्र	437
22.	मणिपुर	4
23.	मेघालय	2
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	7
26.	ओडिशा	10
27.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	4
28.	पंजाब	10
29.	राजस्थान	44
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	111
32.	तेलंगाना	20
33.	त्रिपुरा	1
34.	उत्तर प्रदेश	56
35.	उत्तराखण्ड	22
36.	पश्चिम बंगाल	24
	योग	1080

दुर्ग और सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एमएसएमई टीम पहल के अंतर्गत महिला स्वामित्व वाले एमएसई के पंजीकरण की स्थिति निम्नानुसार है:

1. छत्तीसगढ़ में दुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र - 0 महिला एमएसएमई
2. मध्य प्रदेश में सीधी लोकसभा क्षेत्र- 3 महिला एमएसएमई